

पत्रांक

/यूपीसीडा/स्था0

दिनांक

कार्यालय आदेश

**सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अन्तर्गत वेतन निर्धारण**

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62 (एम)/2008 दिनांक 04.05.2010 जिरा उ0प्र0 शासन के सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के पत्रांक 860/44-1-2010 दिनांक 12.05.2010 के द्वारा निगमों पर लागू किया गया। निदेशक मण्डल की 272वीं बैठक दि0 24.12.2010 के द्वारा अनुमोदित एवं उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 5232/86-11-73/2011 दिनांक 18.07.2011 के द्वारा निगम कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ शासनादेश दिनांक 04.05.2010 में निर्धारित प्रावधान के अन्तर्गत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त प्रमुख सचिव वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या वे0आ0-2773/दस-62 (एक)/2008 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में जारी शासनादेशों को अवकमित कर शासनादेश दिनांक 05.11.2014 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ए.सी.पी. की व्यवस्था दिनांक 01.12.2008 से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 474/77-4-19-274 दिनांक 08.03.2019 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800/- सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4600/- तक के सभी पदों के कार्मिकों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये। तदोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 1123-25/एसआईडीए/स्था0-विविध-436 दिनांक 04.08.2020 द्वारा वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800/- सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4600/- एवं इससे निम्न वेतन बैण्ड व सादृश्य ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया।

तत्क्रम में गठित समिति की दिनांक 29.06.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 24.08.2021 के क्रम में श्री एस0सी0 गुप्ता, सहायक प्रबन्धक-सिविल (सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2018) का दिनांक 12.01.2010 से तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 7600/- में वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1.	दि0 12.01.2010 को वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100/- में आहरित वेतन	रू0 21510=00
2.	सादृश्य ग्रेड वेतन	रू0 6600=00
3.	योग (क्रमांक 1+2)	रू0 28110=00
4.	क्रमांक-3 का 3% वेतन वृद्धि तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के फलस्वरूप (कार्मिक की सहमति के अनुसार दिनांक 01.07.2012 को देय)	-
5.	दि0 12.01.2010 को वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100/- एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- में निर्धारित वेतन	रू0 21510=00

उक्त के फलस्वरूप श्री एस0सी0 गुप्ता, सहायक प्रबन्धक-सिविल (सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2018) का तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के अन्तर्गत दिनांक 12.01.2010 से वेतन रू0 21510+ ग्रेड वेतन रू0 7600= रू0 29110/- (मूल वेतन) निर्धारित किया जाता है तथा इनकी आगामी वेतन वृद्धियाँ निम्न प्रकार से देय होगी :-

वेतन वृद्धि की तिथि	वेतन वृद्धि की धनराशि (रूपये में)	वेतन बैण्ड में वेतन (रूपये में)	ग्रेड वेतन	टिप्पणी
01.07.2010 (नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि)	850/-	22360/-	7600/-	-

ACP office order

01.07.2010 (वित्तीय स्तरों-नगन के अन्तर्गत)	870	23230/-	7600/-	-
01.07.2011	930/-	24160/-	7600/-	-
01.07.2012	960/-	25120/-	7600/-	-
01.07.2013	990/-	26110/-	7600/-	-
01.07.2014	1020/-	27130/-	7600/-	-
01.07.2015	1050/-	28180/-	7600/-	-

उक्त वेतन निर्धारण का नकद लाभ दिनांक 10.03.2010 से देय होगा।

तत्कम मे दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित किये जाने सम्बन्धी गणनाचार्ट के परीक्षणोपरान्त श्री एस0सी0 गुप्ता, सहायक प्रबन्धक-सिविल (सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2018) का सातवें वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रू0 7600/- के तदनुसूची अनुमन्य प्रयोज्य लेबल-12 की कोष्ठिका के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेबल-12 में दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित मूल वेतन	रू0 94100/-
2.	दिनांक 01.07.2016 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	रू0 96900/-
3.	दिनांक 01.07.2017 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	रू0 99800/-
4.	दिनांक 01.07.2018 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	रू0 102800/-

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से वचनबंध भी प्राप्त कर लिया जायें तथा ए0सी0पी0 के लाभ की अवधि में भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो यह आदेश निरस्त करते हुये भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की जायेगी।

उपरोक्त वेतन निर्धारण का भुगतान शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। उक्त वेतन निर्धारण में यदि कोई विसंगति संज्ञान में आती है तो तदनुसार समायोजन सम्बन्धी कार्यवाही प्रस्तुत वचनबंध के अनुरूप की जायेगी।

( नेहा जैन )

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 5290-29/यूपीसीडा/स्था0/F-71-325 दिनांक 04-02-2022

1. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-1, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, गाजियाबाद।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-2, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, सूरजपुर।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-5, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, आगरा।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-6, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, अयोध्या।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-8, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, कानपुर।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, गोरखपुर।
8. प्रभारी(कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. श्री एस0सी0 गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक प्रबन्धक-सिविल, ए-2, जी0डी0ए0 पुलिस कालोनी पटेल नगर-3, गाजियाबाद।
10. गार्ड फाइल।

M 03/02/2022

( नेहा जैन )

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी